

¹[Rule 109C : Withdrawal of Appeal

The appellant may, at any time before issuance of show cause notice under sub-section (11) of section 107 or before issuance of the order under the said sub-section, whichever is earlier, in respect of any appeal filed in **FORM GST APL-01** or **FORM GST APL-03**, file an application for withdrawal of the said appeal by filing an application in **FORM GST APL-01/03W**:

Provided that where the final acknowledgment in **FORM GST APL-02** has been issued, the withdrawal of the said appeal would be subject to the approval of the appellate authority and such application for withdrawal of the appeal shall be decided by the appellate authority within seven days of filing of such application:

Provided further that any fresh appeal filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit specified in sub-section (1) or sub-section (2) of section 107, as the case may be.]

1 Rule 109C inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 109ग: अपील वापस लेना

अपीलार्थी, धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व या उक्त उपधारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व, जो भी पहले हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के संबंध में फाईल की गई किसी भी अपील को प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03 डब्ल्यू में एक आवेदन फाईल करके उक्त अपील को वापस ले सकेगा :

परंतु जहां प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभीस्वीकृति जारी की गई है, वहां उक्त अपील की वापसी अपीलीय प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी और अपील को वापस लेने के लिये ऐसे आवेदन को फाईल करने के 07 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जावेगा :

परंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी वापसी के अनुसरण में फाईल की गई कोई भी नई अपील धारा 107 की यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर फाईल की जाएगी।]

1 अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा नियम 109ग अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)